

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

बाव संख्या 51/2021

धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस

अजीत कुमार स्वर्णकार

बनाम

शिवशंकर सोनार

26.08.21
31.08.21
05-10-2021
26-10-21
26-11-21
03-12-21
07.01.22

स्थानीय पुलिस थाना: निमियाँघाट से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि

उभय पक्ष के बीच पुराना भूमि विवाद के कारण काफी तनाव व्याप्त है

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्ति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 31/08/2021 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष -

9 अजीत कुमार स्वर्णकार

उम्र : 60 वर्ष

पिता : स्व० जानकी स्वर्णकार

साकिन: इसरी बाजार, थाना: निमियाँघाट, जिला: गिरिडीह।

- बनाम -

द्वितीय पक्ष -

9 शिवशंकर सोनार

उम्र : 65 वर्ष

पिता : स्व० राम अवतार सोनार

साकिन: इसरी बाजार, थाना: निमियाँघाट, जिला: गिरिडीह।

लेखापित

26.08.2021
अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

26.08.2021
अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

21-09-2021

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। नोटिस नामिला प्राप्त। अभिलेख दि० 05-10-2021 को उपस्थापित करें।

21.09.2021
SDM
Dumri

05-10-21

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। नोटिस नामिला प्राप्त। द्वितीय पक्ष सूत्रागिर उपस्थित रहेगा। अभिलेख दि० 26-10-21 को उपस्थापित करें।

SDM
Dumri

न्यायालय [Redacted] र्पपालक दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद सं. 51/2021

अजीत कुमार स्वर्णकार - पक्ष - शिवशंकर सोनार

(द.प्र.सं. की धारा 107)

देश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं तिथि
1	2	3
08.04.22	<p>अभिलेख उपस्थापित। निमिर्यौघाट थाना अप्राथमिकी संख्या 57/2021 दिनांक 16.08.2021 द्वारा उभय पक्ष के सदस्यों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए। नोटिस तामिला प्राप्त है। केवल द्वितीय पक्ष के द्वारा इस वाद में कारणपृच्छा एवं दस्तावेज दाखिल किया गया।</p> <p>द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल किए गए कारणपृच्छा एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों में काफी पूर्व से ही भूमि को लेकर विवाद है। जिसका निष्पादन हेतु विभिन्न माननीय न्यायालयों में वाद दायर किया गया एवं उन सभी आदेश पारित है।</p> <p>प्रथम पक्ष के द्वारा अब इसी भूमि विवाद का मामला माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड में दायर किया गया है। जिसके आलोक में माननीय लोकायुक्त के द्वारा जॉच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से माँग किया गया। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अंचल अधिकारी डुमरी के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए जॉच प्रतिवेदन माननीय लोकायुक्त को प्रेषित किया जा चुका है। प्रथम पक्ष इस वाद से संबंधित कारणपृच्छा दाखिल नहीं किए जिसके कारण उनका पक्ष की जानकारी न्यायालय को नहीं हो सकी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उभय पक्षों के बीच मारपीट हुई है जिससे द.प्र.सं. की धारा 107 का उल्लंघन उभय पक्षों के द्वारा किया गया। मूलतः उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद के कारण उत्पन्न तनाव एवं विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना के कारण यह वाद इस न्यायालय में लाया गया है। भूमि विवाद के संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला स्वत्व से संबंधित है। जिसका निष्पादन करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। उभय पक्ष चाहें तो पुनः मामले का निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।</p> <p>इस वाद की सुनवाई के दौरान दिनांक 11.09.2021 को प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के साथ मार-पीट किया गया है। जैसा कि द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है। द्वितीय</p>	

~